446

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 7(8)कार्मिक/क–2/08 जयपुर, दिनांकः–21.12.2010

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2010 के द्वारा डी0 बी0 सिविल रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 12810/2009 जी0 शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा लम्बवत् (Vertical) आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा में रखने के आदेश दिनांक 04.11.2009 को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण संबंधी मामलें में न्यायालय का अन्तिम निर्णय होने तक की अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए रखने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस क्रम में दिनांक 20.12.2010 को सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः निर्देश जारी किये गये हैं कि विज्ञापित पदों में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करावें। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां पर एक ही विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक हैं वहां पर भी कुल विज्ञापित पदों में से विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जावे।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

45/2010